डांडी से खाराखेत तक– बोलता इतिहास

– अनूप बड़ोला

पिछले दिनों एक गांधीवादी विचारक बीजू भाई का संदेश आया खाराखेत आने के लिए, जहां पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम था। चकराता रोड पर नन्दा की चौकी से होते हुये लगभग 12 किलोमीटर पर स्थित है। इस गांव में ज्यादातर आबादी खेती व जंगल पर निर्भर करती है। यहां आकर एक ऐसे प्रसंग से रूबरू होने का मौका मिला जो केवल डांडी मार्च के नाम से ही पढ़ाया जाता रहा है लेकिन उसकी कड़ियां यहा इस छोटे से गांव से है जुड़ी है।

कहने को तो यह एक छोटा सा गांव है और इसका वर्तमान सामाजिक व राजनैतिक दृष्टिकोण द्वारा कोई खास महत्व नहीं है। लेकिन 1930 देहरादून शहर के पश्चिम में स्थित यह छोटा सा गांव स्वतन्त्रता आंदोलन में उस समय प्रकाश में आया जब गांधीजी के नमक एक्ट के विरोध में डांडी मार्च के आवाहन पर इस गांव जहां एक सीमित जगह पर खारा पानी था, बहुत से सत्याग्रही छोटे छोटे जत्थों में इस गांव में पहुंचे व वहां जंगलों में छिपकर नमक बनाया। जिसे विरोध स्वरूप देहरादून टाऊन हाल में बेचने का प्रयास किया गया। सूचना विभाग उत्तर प्रदेश के एक संकलन के अनुसार 1929–30 में जब इस शहर की आबादी महज 3 लाख हुआ करती थी, से लगभग 400 लोगों नें गिरिफ्तारी दी। इसमें 60–70 साधू भी जेल में गए। इस स्थान पर लगे शिलालेख में किए गए उल्लेख के अनुसार 1930 में हुये आंदोलन में इस स्थान पर वीर खड़क बहादुर, जिन्होने गांधीजी के साथ दिल्ली के हरिजन बस्ती में काम किया व डांडी यात्रा में शामिल रहे। उन्होने जब गांधीजी को खारखेत के बारे में जानकारी दी, तो उन्ही के सुझाव पर इस आंदोलन को यहां भी अपने कुछ साथियों रीठा सिंह, धनपती, अमर सिंह, रणवीर सिंह, दना सिंह, श्री कृष्णा, नथु राम, रुव सिंह, गौतम चंद, कृष्ण दत्त बेध, नारायण दत्त डंगवाल, महावीर त्यागी, नरदेव शास्त्री, चौधरी बिहारी, स्वामी विचारानंद, हुलास वर्मा, मास्टर रामस्वरूप, अब्दुल रहमान, जगदीश प्रसाद, बाबूलाल आदि के साथ खाराखेत में जाकर नमक बनाया। जिसे बाद में कुछ साथियों द्वारा नमक कानून 1882 को तोड़ने के लिए टाउन हाल में तथा शहर के अन्य स्थानों पर बेचेने का प्रयास किया गया जिसके लिए सत्याग्रहियों को तत्कालीन सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के द्वारा जुर्माना व 6 माह की सजा हुयीद्य खाराखेत का सांकेतिक आंदोलन राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आंदोलन का हिस्सा थाद्य लेकिन यह सजा क्यों हुयी इसके लिए हमें समझना होगा अंग्रेजों के जमाने के नमक कानून 1882 को तथा भारत में नमक के ऐतिहासिक परिदृश्य को। नमक कानून का एक पुराना इतिहास है। पलासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नमक में लाभ की संभावनाओ के देखते हुये